राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग–3 महात्मा गांधी नरेगा)

शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांक – एफ 1(2)ग्रावि/ नरेगा/ माद/2012 जयपुर दिनांक 04.05.2021

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।

विषय – महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत अकुशल मजदूरों को (नोवल कोरोना वायरस, कोविड–19 संक्रमण से बचाने के लिए) नियोजन बाबत्।

प्रसंग – समसंख्यक पत्रांक एफ 1 (2)ग्रावि/नरेगा/माद/2012 जयपुर दिनांक 16.03.2020 एवं 18.03.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि **नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19)** का संक्रमण तेजी से ना फैले, इसके लिए संम्बधित पत्रों से निर्देश जारी किए गए थे। इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ आयोजित वीसी में एवं व्हाट्स एप ग्रुप में भी निर्देशित किया गया था। चूकिं कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु परस्पर कम से कम सम्पर्क हो, यह व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नरेगा के कार्यों पर नियोजित श्रमिकों में वर्तमान परिस्थिति में कोविड –19, का संक्रमण नहीं फेले, इस हेतु तत्काल प्रभाव से निम्न निर्देश पुनः जारी किये जाते है –

1. **श्रमिकों द्वारा ग्रुप में एक ही जगह कार्य न कर पृथक–पृथक कार्य न्यूनतम 2 गज की दूरी रखते हुए किया जावे।**
2. **यथासंभव एक श्रमिक का काम दूसरे से संपर्क में न रहे।**
3. **श्रमिकों द्वारा एक दूसरे के कार्य औजारों (गेंती, फावड़ा, परात ईत्यादि) के साथ – साथ खाद्य सामग्री पर भी अनावश्यक रुप से हाथ न लगाए जावे अर्थात् एक दूसरे की सामग्री का उपयोग न करें।**
4. **लंच समय में भोजन भी सामूहिक रुप से एक साथ बैठ कर करने के स्थान पर आवश्यक दूरी बनाते हुए किया जावे।**
5. **कोई श्रमिक कोविड संभावित लक्षण युक्त हो, तो उसे कार्य पर न लगाया जाए। उसके निकट परिजनों को अन्य श्रमिकों से पर्याप्त दूरी रखते हुए कार्य दिया जाए।**
6. **कार्य स्थल पर बिना मास्क पहने कार्य नहीं कराया जाए।**
7. **उक्त समुचित व्यवस्था का दायित्व मेट / कार्यकारी संस्था का होगा।**
8. **कार्यस्थल पर साबुन, पानी व सैनेटाईजर की समुचित व्यवस्था हो व हाथ अच्छी तरह साबुन से धोने के बाद की भोजन, पानी ग्रहण किया जावे। विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगें।**

9. **कार्यस्थल पर मेडिकल किट की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो, एवं मेट के पास ब्लॉक/ ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों व कन्ट्रोल रुम के आवश्यक टेलीफोन नम्बर उपलब्ध होने चाहिए, ताकि वक्त जरुरत काम में आवे।**
10. **विभागीय पूर्व निर्देशों के अनुसरण में टास्क पूरा करते ही श्रमिकों को एक–एक कर अपने निवास स्थान जाने हेतु कहा जावे। अनावश्यक कार्य स्थल पर नहीं रोका जावे।**

भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वायरस से बचाने के लिए समय–2 पर जारी निर्देशों का क्रियान्वयन, जमीनीस्तर पर किया जाना सुनिश्चित करें।

(बलदेव प्रसाद शर्मा)
अति आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस ।
3. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस जयपुर।
4. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
6. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस मुख्यालय जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान।
9. एमआईएस शाखा को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किये जाने एवं समस्त जिलों को जरिये ईमेल भिजवाये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

अति आयुक्त (प्रथम), ईजीएस